न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः GCMS No.-2024/570

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1–पुष्पा पत्नी स्व. मोहनलाल सैन, जाति नाई, उम्र–73 वर्ष निवासी प्लॉट नम्बर 153–ए, गणेश स्कूल के पास, विध्या नगर, आरटीओ ऑफिस के पीछे, जोधपुर		1–नारायण पुत्र स्व. मोहनलाल सैन 2–प्रियंका पत्नी नारायण सैन जाति नाई, निवासी प्लॉट नम्बर 153–ए, गणेश स्कूल के पास, विध्या नगर, आरटीओ ऑफिस के पीछे, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2024 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा प्रकरण संख्या 08/2024 पुष्पा देवी बनाम नारायण व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थीगण उपस्थित।
2–प्रत्यर्थीगण उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5(1)(क)(ख), माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी/प्रार्थिनी के मकान से बेदखल करने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (उत्तर) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2024 को पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थी/प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थी के साथ सद्व्यवहार बनाए रखेन, मारपीट–लड़ाई झगड़ा इत्यादि नही करने एवं प्रार्थिनी के बीमार

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

होने की स्थिति में सेवा चाकरी–दवाईयों की व्यवस्था करने हेतु पाबंद किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (GCMS No.-2024/570) कर प्रत्यर्थीपक्ष/अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के नोटिस तामिल दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त हुए तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। नियत सुनवाई दिनांक 05.02.2025 को उपस्थित अपीलार्थी/प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण का पक्ष सुना गया, इस प्रकार उभयपक्षकरान की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी का पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीनी की पुत्रवधु है। प्रार्थीनी के दो अन्य पुत्र गणपत एवं सुनिल जो अविवाहित है, वह दोनो पुत्र प्रार्थीनी के साथ ही रहते है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीनी की पटटासुदा, कब्जासुदा, खरीदसुदा जायदाद प्लॉट नंबर 153–ए, गणेश स्कुल के पास, विध्या नगर, आरटीओ ऑफिस के पीछे, जोधपुर पर एक कमरे पर जबरन कब्जा करके बैठा है तथा प्रार्थीनी व उसके दोनो लडकों के साथ लडाई–झगडे कर रहे है तथा पुलिस में झुठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देते है तथा जान से मारने की धमकी देते है। अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी प्रियंका प्रार्थीया के साथ गाली–गलोच व झगडा फसाद करती है एवं प्रार्थीया व उसके दोनो बच्चों को खाना बनाकर भी नही देती है। प्रार्थीनी स्वयं का उक्त भूखण्ड खरीदसुदा, कब्जासुदा भूखण्ड है, उक्त भूखण्ड का पट्टा भी प्रार्थीनी के नाम हाल ही में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 22.09.2023 को जारी किया गया है। पूर्व के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया के पटटे की प्रति पेश नहीं की गई थी इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया गया था। पूर्व में प्रार्थीया/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय भरण–पोषण एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के यहां प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय भरण–पोषण एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर ने यह कहते हुए दिनांक 20.09.2017 को निर्णय किया कि प्रार्थीया के मकान के स्वामित्व सम्बंधित दस्तावेज साक्ष्य प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नही किये गये ऐसी अवस्था में अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किया जाना न्यायोचित नही होगा तथा प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है जिससे व्यथित होकर माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी जिस अपील में दिनांक 31.01.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था विवादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड क्रय सुदा नही होकर मात्र कथित बेचान इकरारनामा पर ली हुई है तथा इकरारनामा करने वाले व्यक्ति ने भी मात्र 5/– रूपये के स्टाम्प पर बेचान इकरारनामा के आधार पर ही खरीद किया गया है। अतः उक्त प्लॉट पर वैधानिक अधिकार किस प्रकार हुआ स्पष्ट नही होता है, विधिक दस्तावेज के अभाव में किसी व्यक्ति को उक्त अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अनुतोष देना न्यायसंगत भी नही है अतः विधिक दस्तावेजो के अभाव में अपीलार्थी

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

को पहले अधिकार तय कराने चाहिये, अतः अपील निरस्त की जाती है परन्तु आदेश में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर जोधपुर महानगर पूर्व को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी के निवास स्थान से सम्बंधित थानाधिकारी को पाबंद करे कि पुलिस थाना का कोई प्रतिनिधि जहां तक संभव हो, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवक को साथ नियमित अंतरालो पर, महिने में कम से कम बार अपीलार्थी श्रीमती पुष्पा से भेंट करे तथा उनके साथ सहायता / सुरक्षा के किसी अनुरोध की प्राप्ति पर यथासंभव शीघ्रता से अनुतोष प्रदान करें। लेकिन माननीय न्यायालय के दिनांक 31.01.2018 को दिये गये निर्णय के आधार पर न तो आज दिन तक़ अपीलार्थी/प्रार्थिनी से किसी भी प्रकार से किसी भी थानाधिकारी ने न तो भेंट की और न ही उनकी सहायता की। अपीलार्थी/प्रार्थिनी ने अप्रार्थी की इन हरकतो के विरूद्व महामंदिर थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जिसमें भी अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म कबुल किया गया। बहस के अंत में अपीलार्थी/प्रार्थिनी द्वारा अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 अपास्त करते हुए अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को मकान से बेदखल करने के आदेश दिये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी/प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त मकानएग्रीमेन्ट के जरिये खरीदसुदा है तथा उक्त जायदाद को अप्रार्थी संख्या 1 के पिताजी ने अपने स्व. अर्जित आय से खरीद किया था, जिस पर मकान बनाने में पूंजी अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पिता की लगी है। बाद में अपीलार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व झूठे तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 20/09/2017 को खारिज हो गया। अपीलार्थी/प्रार्थिनी ने एक अपील न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर की, जिसमें निर्णय दिनांक 31/01/2018 को पारित करते हुए अपील को अस्वीकार किया। अपीलार्थी/प्रार्थिनी ने जानबूझकर उक्त प्रकरण में कोई राहत नही मिलने पर बिना अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पट्टा बनाने की कार्यवाही जेडीए जोधपुर में की, जिसकी शिकायत भी जेडीए जोधपुर में कर रखी थी। फिर भी येन केन प्रकारेण अपीलार्थी/प्रार्थिनी द्वारा अपने नाम पट्टा जारी करवा दिया। अपीलार्थी/प्रार्थिनी द्वारा उपरोक्त अपील गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को हैरान परेशान एवं जायदाद से बेदखल करने के उद्देश्य से दर्ज करवाया है जबकि वास्तविकता में अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 वर्तमान में किराये पर टैक्सी चलाता है, जिससे 6 से 7 हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेता है, जिससे बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। अपीलार्थी/प्रार्थिनी को समाज के लोगों व मौतबीर व्यक्तियों ने कई बार समझाईश भी की कि बेटे बहु को परेशान न करें, जिस पर अपीलार्थी ने एलानियां धमकी दी कि मैं इन दोनो को घर से निकालकर ही रहूँगी, मैं किसी समाज को नही मानती हूँ। अप्रार्थी संख्या 1 के पिताजी सरकारी कर्मचारी थें। उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थी को कुल दो पेंशनें आती है, जिससे उसकी माहवार पेंशन राशि रूपये 27 से 30 हजार रूपये करीब आय प्राप्त होती है।

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपीलार्थी/प्रार्थिनी के पुत्र सुनिल व अन्य बहिनों सुनिता सैन, गीता सैन व चन्द्रकान्ता सैन सभी ने मिली भगत करके अप्रार्थी संख्या 1 को घर से बेदखल करने हेतु षडयंत्रपूर्वक बूढी मॉ का सहारा लेकर झूठा प्रकरण/अपील प्रस्तुत की है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 पर स्वयं के अलावा अपनी पत्नि, पुत्रों व पुत्री का भरण पोषण की जिम्मेदारी है व उसमें से एक पुत्र प्रशान्त विकलांग हैं। अपीलार्थी/प्रार्थिनी के पुत्र सुनिल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के साथ कई बार मारपीट की गई, जिसका प्रकरण भी पुलिस थाना महामन्दिर व माता का थान, जोधपुर में दर्ज हो रखा है, जिसको कई बार 151 में भी पुलिस द्वारा पाबन्द किया गया है। अपीलार्थी का एक पुत्र गणपत जो कि मनोरोगी नहीं है, जो स्वयं सुनिल के साथ काम पर जाता है, जिससे मासिक 20,000/– रूपये कमाकर अपीलार्थी व सुनिल को देता हैं, उसकी कोई भी मनोरोग की व चिकित्सक ईलाज नही चल रहा है। अपीलार्थी द्वारा महामन्दिर थाने में जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, वह गलत दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई जुर्म रेस्पोडेन्ट द्वारा कबूल नहीं किया गया है। बहस के अंत में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रहवास का एकमात्र सहारा होने से मकान से बेदखल न करने की इस्तदुआ की।

तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की, पूर्व में एक अपील अपीलार्थी ने न्यायालय अपील अधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर में भरण पोषण अधिनियम अपील संख्या 13/2017 बअनुवान श्रीमती पुष्पदेवी बनाम नारायण उर्फ नन्दू वगैराह पेश की थी, जिसमें निर्णय दिनांक 31/01/2018 द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपील अप्रार्थीगण को हैरान परेशान एवं जायदाद से बेदखल करने के उद्देश्य से दर्ज करवाया है जबकि अपीलार्थी स्वयं झगडालू प्रवृति की महिला है, जो अक्सर अप्रार्थी संख्या 2 को दहेज लाने के लिये ताना देती और उसका साथ नणद व देवर भी देते है और अप्रार्थी संख्या 2 के विवाह के समय उपहार के रूप में दिये गये सोने चांदी के जेवरात जो भी थे, वे सभी अपीलार्थी ने अपने पास लेकर रख लिये है। इन सभी के अत्याचारों से परेशान होकर अप्रार्थी संख्या 2 ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अपीलार्थी/प्रार्थिनी, नणदों, देवर, नणद, पति के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसका मामला अभी अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 3, जोधपुर महानगर में विचाराधीन है। अप्रार्थीगण की एक सन्तान प्रशान्त उम्र 10 वर्ष जो कि विकलांग है, जिसका ईलाज एम्स में चल रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 को अगर घर से बेदखल कर दिया जाता है तो वह अपनी तीन संतानो को लेकर फुटपाथ पर आ जायेगी, क्योकि अप्रार्थी संख्या 2 के पिता इस दुनिया में नही है, विधवा मॉ और उन पर भी परिवार काफी सदस्य आश्रित है, और विधवा मॉ भी किराये के मकान में निवास करती है। अपीलार्थी/प्रार्थिया के पुत्र सुनिल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के साथ कई बार मारपीट की गई, जिसका प्रकरण भी पुलिस थाना महामन्दिर व माता का थान, जोधपुर में दर्ज हो रखा है, जिसको कई बार 151 में भी पुलिस

अपील अधिकरण, जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

द्वारा पाबन्द किया गया है। बहस के अंत में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा घर से बेदखल नही करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से अप्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का निवेदन किया गया। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है तथा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही है। उक्त अधिनियम का मुख्य मंतव्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है न कि जमीन–जायदाद के विवादों का निस्तारण करना, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रार्थिनी व प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के मध्य सम्पति का विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। इसके अलावा अपीलार्थी/प्रार्थिनी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णित किया जा चुका है, इस स्थिति में एक ही अपील अधिकरण के समक्ष निर्णित अपील को पुनः प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नही है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)